**न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)खागा, फतेहपुर**
**वाद संख्या–95/1990**
**रामनरेश आदि बनाम अतिउल्ला आदि**

**दिनांक–01.09.2026**

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर वादीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित तथा प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रपत्रों का परिशीलन किया। परिशीलन से विदित है कि न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेश दिनांकित 28.10.2025 पारित कर उपरोक्त वाद का मूल्यांकन 9,25,000/–रु० निर्धारित किया गया है। उपरोक्त वाद का मूल्यांकन 9,25,000/–रु० निर्धारित किये जाने के पश्चात उपरोक्त वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त न होने के कारण उपरोक्त पत्रावली के अंतरण के सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश को पत्र प्रेषित किया गया था, जिस पर माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा दिनांक 18.08.2026 को अधोस्ताक्षरी को सिविल प्रक्रिया संहिता(सी.पी.सी.) के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए आदेश पारित किये जाने का आदेश पारित किया गया था। चूंकि न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद का मूल्यांकन 9,25,000/–रु० निर्धारित किया जा चुका है, जिसके विचारण का आर्थिक क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इस सम्बन्ध में आदेश 7 नियम 10 सी०पी०सी० यह प्रावधानित करता है कि–"वाद के किसी भी प्रक्रम में उस न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटा दिया जाएगा, जिसमें वाद संस्थित किया जाना चाहिए था।"

ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए वादीगण का वाद सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में योजित किये जाने हेतु वापस किया जाता है।

दिनांक–01.09 .2026

(शुभ्रा प्रकाश)
सिविल जज (जू०डि०)
वाह्य न्यायालय खागा, फतेहपुर।
J.O.Code–UP3434